न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-1382/2026

गिरजा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

दिनांक 27-04-2026

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांकित 18-04-2026 के अनुपालन में स्वयं आत्मसमर्पण करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु समय की याचना की गयी है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण/अभियुक्तगण को अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण **गिरजा व रूना** प्रत्येक द्वारा मु० 50,000/- रू० का नवीन स्वबंधपत्र प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा पूर्व में दाखिल प्रतिभू पर उन्हे दिनांक 01-05-2026 तक अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाता है।

नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

नियत तिथि पर आवेदकगण/अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करे।

प्रभारी विशेष न्यायाधीश,

(एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर।